प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका 227 सं. 616/2014

• सीताराम रजक, पिता- स्वर्गीय रघुवर प्रसाद रजक, आयु- लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय- कृषक, निवासी- ग्राम- मंगला, थाना- सिविल लाइन्स, जिला- बिलासपुर, सिविल व राजस्व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. प्रवीण कुमार मिश्रा, पिता- श्रवण कुमार मिश्रा, आयु- लगभग 47 वर्ष, व्यवसाय- कृषक, निवासी- ग्राम- गोंडपारा, बिलासपुर, थाना- सिटी कोटवाली, जिला- बिलासपुर, सिविल व राजस्व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2. लक्ष्मी रजक, पिता- स्वर्गीय रघुवर प्रसाद रजक, आयु- लगभग 32 वर्ष, व्यवसाय- कृषक, निवासी- ग्राम- मंगला, थाना- सिविल लाइन्स, जिला- बिलासपुर, सिविल व राजस्व जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 1 की ओर से : श्री केशव देवांगन, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 2 की ओर से : नोटिस तामीली के बावजूद कोई उपस्थित नहीं

पीठ पर आदेश

05/11/2015

1. अंततः दोनों पक्षों की सहमति से प्रस्ताव स्तर (मोशन स्टेज) पर सुनवाई की गई।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने वादपत्र अस्वीकृति के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (संक्षिप्त 'सिविल प्रक्रिया संहिता' में) के तहत अंतवर्ती आवेदन सं. 3 प्रस्तुत किया था क्योंकि वादी ने विधि के तहत आवश्यक न्यायालय शुल्क दायर नहीं किया था और वाद को उपयुक्त मूल्यांकन नहीं किया था। अन्य अंतवर्ती आवेदन पर भी पारित आदेशों के साथ-साथ 30-07-2014 दिनांकित आक्षेपित आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा प्रार्थना खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन में पारित आदेश की सीमा तक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की औचित्य और वैधता को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकारिता का आह्वान किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को पहले वादी को न्यायालय शुल्क जमा करने के लिए कहने की आवश्यकता थी और यदि कोई न्यायालय शुल्क जमा नहीं किया जाता तो वाद को समय द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए था। वह आगे तर्क करते हैं कि आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण और विकृत है। याचिकाकर्ता के पास एक अच्छा प्रकरण (आधार) है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उक्त हिस्से को अपास्त किया जाए और वादपत्र को खारिज कर किया जाए क्योंकि यह समय द्वारा वर्जित है।

4. दूसरी ओर, उत्तरवादी सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्यायालय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर मूल्यांकन, अपर्याप्त न्यायालय शुल्क के आधार पर कोई भी विवाद्यक तैयार कर सकता है और इसका निराकरण या तो यथास्थिति प्रारंभिक

विवाद्यक के रूप में या अन्यथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष लिखित कथन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने वाद के मूल्यांकन और अपर्याप्त न्यायालय शुल्क के बारे में भी आधार लिया है और यह भी कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। आज तक न्यायालय ने विवाद्यक विचरित नहीं किया है और मामला लंबित है।

6. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रस्तुत किए गए आवेदन और उसे खारिज करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर उचित विचार करने पर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने अपना लिखित बयान प्रस्तुत किया और अपर्याप्त मूल्यांकन के बारे में तथ्यों का अनुरोध किया और वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित किया गया, न्यायालय शुल्क की अपर्याप्तता के विवाद्यक और क्या वाद को विधि द्वारा वर्जित है क्योकि इसका उचित मूल्यांकन नहीं हुआ है, पक्षकारों को उचित अवसर के बाद पक्षकारों द्वारा किए गए अभिवचन पर विवाद्यक को तैयार करना उचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों को साक्षय प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद या तो प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में या अन्य विवेकपूर्ण तरीके से विवाद्यक का निराकरण कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंभिक विवाद्यक पर निर्णय लेते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि विवाद्यक को उपलब्ध सामग्री पर नए सिरे से निर्णीत किया जाना है।

8. परिणामस्वरूप वर्तमान रिट याचिका निराकृत होती है। अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय शुल्क, विधि द्वारा वर्जित वाद के संबंध में विवाद्यक विरचित करे यदि याचिकाकर्ता द्वारा अपने लिखित बयान में कोई अभिवचन किया जाता है और अन्य

सभी विवाद्यकों सहित उन विवाद्यक को विरचित करने के बाद, जो विशुद्ध रूप से विधि का प्रश्न है, के बारे में विवाद्यक विरचित करने का निर्देश दिया जाता है, जिनका प्रारंभिक विवाद्यक के रूप में या अन्यथा विधि के उपबंधों के अनुसार निराकरण किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत कोई भी मूल्यांकन प्रारंभिक विवाद्यक के इस तरह के निर्णय के रास्ते में नहीं आएगा।

9. तदानुसार याचिका निराकृत होती है।

10. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /-

चंद्र भूषण बाजपेयी

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**